सैमसंग और एलजी को 2204 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि

दोनों कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देने के फैसले को मिली मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना पर 15 वर्ष में 1,751 करोड़ रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि प्रदेश सरकार देगी। इसी फॉर्मूला के आधार पर एलजी इंडिया को भी 10 वर्षों के दौरान प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

फैसला 06

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यूपी में सैमसंग और एलजी के मेगा प्रोजेक्ट पर सब्सिडी के मामले पर कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। नया फॉर्मूला बनाकर वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए टैक्स क्रेडिट कम करके 15 वर्षों में सब्सिडी के रूप में 1,751 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सैमसंग ने नोएडा में अपना मेगा प्रोजेक्ट लगाया है। इसी तरह एलजी ने 567 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसे भी तय फॉर्मूले के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दोनों कंपनियों ने जीएसटी लागू होने से पहले प्रदेश में प्लांट लगाकर निवेश किया किया था। सैमसंग यूपी में 60 हजार करोड़ रुपये के मोबाइल फोन का निर्माण करती है। इनमें से करीब 3,000 करोड़ के फोन यूपी और शेष की बिक्री पूरे देश में होती है। इस वजह से एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी को निश्चित फॉर्मूले के तहत वापस किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि देने का मकसद प्रदेश में बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना है, जिनसे रोजगार और राजस्व दोनों में वृद्धि होगी।

निवेशक कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिलेगी छूट

लखनऊ। एफडीआई नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट में छूट दी जाएगी। यदि निवेश करने वाली कंपनी को कैपिटल गुड्स के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलता है तो यूपी जीएसटी अधिनियम-2017 के अंतर्गत आईटीसी की स्वीकार्य सीमा तक निवेश अवधि के अंदर एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट लौटा दिया जाएगा। कंपनी को रिफंड की तय सीमा तक एसजीएसटी के बकाये लेजर में से आईटीसी को रिवर्स करना होगा। ये रिफंड उत्पादन की तारीख से पांच साल तक सालाना किस्त के रूप में दिया जाएगा। ब्यूरो

बड़ी कंपनियों से बड़ा रोजगार, ढेरों रियायतें

- औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की वर्तमान दरों से सस्ती दरों में जमीन दी जाएगी
- जमीन की लागत छोड़कर पूंजी निवेश पर 100 करोड़ सालाना सब्सिडी सात साल तक
- मंजूरी वाली परियोजनाओं को 100 फीसदी एसजीएसटी सब्सिडी
- यूपी औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत स्टांप व पंजीकरण शुल्क में छूट, जो 100% तक होगी
- इकाई द्वारा एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट या कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट की लागत का 50 फीसदी या 2.5 करोड़ की सब्सिडी
- परियोजना के 10 किमी के दायरे में श्रमिकों के आवास की लागत का 10 करोड़ रुपये तक सात सालाना किस्तों में दिया जाएगा
- अपने अंतरराष्ट्रीय या घरेलू संयंत्रों को यूपी में लाने पर दो करोड़ रुपये परिवहन लागत या आयात शुल्क में छूट
- पेटेंट पंजीकरण पर आने वाले खर्च की 75% सब्सिडी, घरेलू पेटेंट के लिए 10 लाख व अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 20 लाख रुपये